From,

Dr. Humayun Rasheed Khan

Professor, National Judicial Academy India

Bhopal, M.P.

To,

Registrar General

Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad

Allahabad.

Through,

Registrar (Administration)

National Judicial Academy India

Bhopal, M.P.

Forwarded

Registrar (Administration)
National Judicial Academy
BHOPAL

Subject: Regarding exercise of one time option to switch from National Pension System/ New Pension Scheme to Old Pension Scheme or to remain in New Pension Scheme in light of G. O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301 (1)/ 2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301 (1)/ 2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P.

Respected Sir,

Most humbly, I wish to submit on the above subject that the Government of U.P. has issued a G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301 (1)/ 2024 dated 28.06.2024 whereby all such U.P. Government employees who are presently covered under National Pension System/New Pension Scheme and have been appointed on the posts/ vacancies that were advertised/published prior to issuance of State Government Notification No. Sa-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated 28.03.2005, pertaining to implementation of National Pension System/New Pension Scheme, have been given the facility to opt Old Pension Scheme so as to be covered under U.P Retirement Benefits Rules, 1961 within the specified time-limit of 31.10.2024.

It is also submitted that in continuation to the above mentioned G.O., the Department of Finance (General) Section-3, Government of U.P. vide G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301 (1)/ 2024 dated 11.07.2024 has issued a proforma of Option Form providing all such judicial officers who have been appointed in U.P. Nyayik Sewa/ U.P.H.J.S. against vacancies advertised prior to issuance of State Government Notification No. Sa-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated 28.03.2005, are required to fill the Option Form either opting Old Pension Scheme under the provisions of aforesaid G.O. dated 28.06.2024 or choose to remain in National Pension System/New Pension Scheme.

It is further submitted that on the above mentioned subject, the Hon'ble High Court, Allahabad vide letter no. 9691/IV F- 82 (Pension)/ Admin. (A) Dated: July, 16, 2024 has directed all such judicial officers to move applications accompanied with said Option Form duly filled by the applicant as well as by concerned Head of Office, at designated places, to be submitted to the Hon'ble Court mandatorily in online as well as offline mode by registered post at the earliest.

It is most humbly submitted that the undersigned is an officer of U.P. Nyayik Sewa batch 2003. The appointment of undersigned was made against the vacancies advertised by U.P. Public Service Commission vide advertisement/notification no. A-2-E-1/2003, dated 22.11.2003. It is to further mention that the undersigned is presently covered under New Pension System/New Pension Scheme and regular monthly contribution is made via (PRAN ID) NO. 110082328309. Consequently, the undersigned is fulfilling the criteria as laid down in the aforesaid G.O. dated 28.06.2024 and is opting for the **Old Pension Scheme** on the filled-in proforma attached herewith in view of above mentioned G.O. and the directions contained in the above mentioned letter of the Hon'ble Court dated 16.07.2024.

I, therefore, most humbly request your good-self to kindly place my request for opting the Old Pension Scheme through duly filled-in Option Form attached herewith before the Hon'ble Court for kind consideration.

I shall be highly obliged to you for your kind consideration.

Dated: 27-08-2024 With regards,

Yours faithfully

27/08/2024

(Dr. Humayun Rasheed Khan)

Professor, National Judicial Academy India

Bhopal, M.P.

(ID No. UP-6183)

Enclosures:

1. Original copy of filled in option for Old Pension Scheme.
2. Copy of the G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301 (1)/ 2024 dated 28.06.2024 and G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301 (1)/ 2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P.
3. Copy of the Employment Notification issued by U.P. Public Service Commission, dated 22nd November, 2003.

शासनादेश संख्या – 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024
दिनांक 11 जुलाई 2024 का संलग्नक –

विकल्प–पत्र

1.	नाम	**डा. हुमायूँ रशीद खाँ**
2.	वर्तमान पदनाम	**प्रोफेसर, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल**
3.	वेतनमान	**J-5 (144840–194660) – बेसिक वेतनमान – रु. 194660/–**
4.	वर्तमान विभाग का नाम	**मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद (वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल)**
5.	राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	**उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद**
6.	विज्ञप्ति की तिथि	**22 नवम्बर, 2003**
7.	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	**15/06/2006**
8.	योगदान की तिथि	**15/06/2006**
9.	जन्म तिथि	**01/05/1977**
10.	सेवानिवृत्ति की तिथि	**30/04/2037**

मैं **डा. हुमायूँ रशीद खाँ** पुत्र **श्री रशीद अहमद खाँ** शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अंतर्गत **पुरानी पेंशन योजना** (√) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाये।

हस्ताक्षर – 26/08/2024
नाम – डा. हुमायूँ रशीद खाँ
पदनाम – प्रोफेसर, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
(प्रतिनियुक्ति पर) **(ID No. UP6183)**

घोषणा–पत्र

मैं **डा. हुमायूँ रशीद खाँ** पदनाम **प्रोफेसर, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी** यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर – 26/08/2024
नाम – डा. हुमायूँ रशीद खाँ
पदनाम – प्रोफेसर, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
(प्रतिनियुक्ति पर) **(ID No. UP6183)**

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री **डा. हुमायूँ रशीद खाँ** पदनाम **प्रोफेसर, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल** को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (√)/~~नई पेंशन योजना (X)~~ में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

27/8/2024
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

Director
National Judicial Academy
Bhopal-462 044

(81)

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध मे निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैः

(1) विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2) उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध मे प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनाक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनाक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातो मे जमा कर्मचारियो का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते मे जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते है, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि मे जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

(3)

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या-
ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003

डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003

http://uppsc.nic.in

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2

(212)

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ... से सत्यापित की जा सकती है।

-2-

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय

अनु सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट … से सत्यापित की जा सकती है।